

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०८डी०(बजट-आवंटन-2225)-12-15/2017- 11/4

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सुपौल /पूर्वी चम्पारण एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक 05.01.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में गैर योजनान्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के संघारणार्थ कुल ₹ 47,44,000/- (सैतालीस लाख चौवालीस हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवम् उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन-भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या 06 दिनांक 15.05.17, 42 दिनांक 12/07/2017, 51 दिनांक 17/08/2017, 64 दिनांक 22/09/2017, 83 दिनांक 03/11/2017, 94 दिनांक 30/11/2017, 104 दिनांक 21/12/2017 एवं 108 दिनांक 29/12/2017 द्वारा आवंटन दिया गया था । जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढी, पूर्वी चम्पारण एवं नालन्दा के मॉग के आलोक में कुल ₹ 47,44,000/- (सैतालीस लाख चौवालीस हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है।

क्रमांक	जिला कल्याण कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सुपौल	6,50,000	7,80,000	81,000	1,200	15,12,200
2	पूर्वी चम्पारण	10,00,000	11,00,000	1,00,000	1,800	22,01,800
3	नालन्दा	4,50,000	5,50,000	30,000	0	10,30,000
	कुल:-	21,00,000	24,30,000	2,11,000	3000	47,44,000

कुल राशि (सैतालीस लाख चौवालीस हजार रू०)मात्र

2- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-001-निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001.0101-वेतन,

4-

0001.0103-जीवन यापन भत्ता, 0001.0104 मकान किराया भत्ता, 0001.0106- चिकित्सा भत्ता, सं0-44-बिपत्र कोड सं0 44-2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा। संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से, जिन्हें उनके द्वारा उप आवंटन दिया गया हो, व्यय विवरणी टी0भी0 नम्बर इत्यादि प्राप्त कर मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक 05/01/18

ज्ञापांक- स08डी0(बजट-आबंटन-2225)-12-15/2017 114 पटना, दिनांक 05.01.18
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(3) प्रमंडलीय आयुक्त, कौशी, तिरहुत एवं पटना/जिला पदाधिकारी सुपौल, पूर्वी चम्पारण एवं नालन्दा / उप विकास आयुक्त, सुपौल, पूर्वी चम्पारण एवं नालन्दा / सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, कौशी एवं तिरहुत / बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 05/01/18

ज्ञापांक- स08डी0(बजट-आबंटन-2225)-12-15/2017 114 पटना, दिनांक 05.01.18

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 05/01/18